मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकः एफ 11–2/2011/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 31 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः संचित निधि से आहरित राशि को बैंक खातों में रखने के संबंध में।

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम–6 के अनुसार शासकीय धन आहरित कर बैंक खाते में जमा रखना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस संबंध मे म.प्र. वित्तीय संहिता भाग एक के नियम–6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

"जब तक किसी विधि अथवा आदेश या नियम जिसका वैधानिक स्वरूप है से अधिकृत न हो, वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संचित निधि तथा लोक लेखा से विनियोग या अन्यत्र जमा करने हेतु राशि नहीं निकाली जा सकती है।"

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग–एक के सहायक नियम 284 का उद्धरण निम्नानुसार हैः–

"जब तक भुगतान तुरन्त किया जाना अपेक्षित न हो, कोषालय से आहरण नहीं किया जाये। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्ययगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना एक गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिये दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।"

इस प्रकार संचित निधि से राशि का आहरण तभी किया जाना चाहिये जब उसका उपयोग 15 दिवस के भीतर कर लिया जाय।

2. राज्य शासन व्दारा अपने वित्तीय संसाधन करों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से ऋण लेकर जुटाए जाते हैं। यदि किसी आहरण अधिकारी व्दारा अनावश्यक रूप से राशि आहरित कर बैंक खाते में रखी जाती है तो उससे राज्य शासन के पास उपलब्ध संसाधनों में कमी होती है जिसकी पूर्ति के लिये बाजार से ऋण लेना पड़ता है। ऐसे ऋणों पर राज्य शासन को ब्याज देना पड़ता है।

3. अतएव निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त बैंक खाते जिनमें संचित निधि से आहरित राशि बैंक खाते में रखी जाती है, के विषय में राज्य शासन को हुई Notional वित्तीय हानि की गणना हेतु निम्नानुसार प्रपत्र में जानकारी तैयार की जाय :–

कमांक	माह के दौरान बैंक में जमा राशि का औसत	कंडिका 2 में दर्शाई राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह के मान से ब्यांज की राशि	रिमार्क
1.	2.	3.	4.

बैंक खाते पर इस प्रकार प्रगणित कुल ब्याज (कालम क. 3 का येाग) .....
.....

आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रगणित राशि में से, वर्ष के दौरान किये गये आहरणों की कुल राशि के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि कम कर शेष राशि शासन के प्राप्तियॉ मद–"0049" अंतर्गत जमा कराएं। यदि संबंधित बैंक खाते में उससे कम राशि ब्याज से अर्जित हुई है तो शेष राशि संबंधित आहरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से स्वयं जमा करानी होगी।

4. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह उनके व्दारा खोले गये बैंक खातों में जमा ऐसी राशि, जिसमें प्राप्त ब्याज का उपयोग, योजना विशेष के उद्देश्य हेतु किये जाने के निर्देश हैं, को छोड़कर शेष राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में 15 अप्रैल तक शासन के प्राप्तियॉ मद–"0049" में जमा कराएं। इस वित्तीय वर्ष के लिये यह कार्यवाही 30 जून 2011 तक पूर्ण की जानी चाहिये। यदि ब्याज की राशि उक्त दिनांक तक भी "प्राप्तियॉ मद" में जमा नहीं कराई जाती है तो उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से वसूली योग्य होगा। ऐसी राशि जिसके विषय में उस योजना विशेष के उद्देश्य हेतु ही ब्याज की राशि का उपयोग किया जाना है, से प्राप्त ब्याज का उपयोग उसी योजना विशेष हेतु किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. राज्य शासन व्दारा किसी योजना के लिये खोले गये बैंक खाते की समस्त राशि, उक्त योजना के बंद होने के पश्चात् 15 दिन की समयावधि में शासन के प्राप्तियां मद –"0075" में जमा कराई जानी चहिये।

6. समस्त आहरण एवं सवितरण अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरान्त 30 अप्रेल तक निम्नांकित प्रपत्र में प्रमाण पत्र रोकड़ पुस्तिका में अभिलिखित करें :–

"प्रमाणित किया जाता है कि मेरे व्दारा बैंक खातों की अवशेष राशि का रोकड़ खाते के अवशेष से का मिलान किया गया है, तथा स्थिति निम्नानुसार है :–

कमांक	बैंक शाखा का नाम	खाता कमांक	बैंक खाते के अनुसार 1 अप्रेल के प्रारम्भ में अवशेष राशि	रोकड़ खाते के अनुसार 1 अप्रेल के प्रारम्भ में अवशेष शेष	अंतर का कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.

"

यह प्रमाण पत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारी व्दारा स्वंय हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा तथा ऐसा प्रमाण पत्र अंकित नहीं करना गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी व्दारा अंतर के कारणों का भी तत्काल अन्वेषण कर समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं इसका प्रतिवेदन 31 मई तक विभाग प्रमुख, तथा महालेखाकार को भेजना होगा।

7. उपरोक्त निर्देश स्थानीय संस्थाओं व्दारा शासन की योजनाओं के संचालन हेतु खोले गये बैंक खातों पर भी लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-2/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 मई, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्राालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी..के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग